न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) ठाकुरद्वारा।

राज्य प्रति लोचन सिंह आदि
मुकदमा सं0–954/2014

आरोप

मैं प्रीती मोगा न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा आप अभियुक्तगण लोचन सिंह, अशोक, बबलू व नन्हें सिंह पर निम्न आरोप आरोपित करती हूँ:–

1– यह कि दिनांक–27.05.2014 को समय अदम तहरीर स्थान वहद ग्राम भूड़ अन्तर्गत थाना डिलारी जिला मुरादाबाद आप लोगों ने मिलकर वादी मुकदमा तथा उसके पुत्र हरप्रसाद को मारपीट कर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया जो कि भा0दं0सं0 की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा के लड़के हरप्रसाद को गन्ना काटने वाली बलकटी जैसे धारदार हथियार से मार पीटकर साधारण उपहति कारित की। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया जो भा0दं0सं0 की धारा–324 की तहत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा को गंदी गंदी गालियां देकर अपमानित किया जिससे कि वह लोकशांति भंग कर सकें। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया जो कि भा0दं0सं0 की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी देकर भयभीत किया। इस प्रकार आपके द्वारा ऐसा अपराध कारित किया जो कि भा0दं0सं0 की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतः मैं एतद्वारा निर्देश देतीं हूँ कि उपरोक्त आरोपों पर आप अभियुक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–17.05.2019

(प्रीती मोगा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा।

उपरोक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये, जिनसे अभियुक्तगण ने इंकार किया एवं विचारण की मांग की।

दिनॉक–17.05.2019

(प्रीती मोगा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
ठाकुरद्वारा।